



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: नृ०/गोपनीय/बविवि/महा.रत.अंक/2017

भोपाल, दिनांक: ..-.-.XI.-.17

//अधिसूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय ।

विषय: सेमेस्टर पद्धति (विषम सेमेस्टर) स्नातक प्रथम(ऐ.टी.के.टी), तृतीय, पंचम तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, वर्ष 2017-18 की प्रायोगिक, सत्र आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रेषित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत राज्य शासन के द्वारा घोषित अकादमिक कैलेण्डर के पालनार्थ सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत सत्र 2017-18 स्नातक प्रथम(ऐ.टी.के.टी), तृतीय, पंचम तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 30.11.2017 तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाना निर्धारित किया गया है। प्रथम सेमेस्टर (ऐ.टी.के.टी), के अंक अनिवार्य रूप से 25.11.17 तक भेजना अनिवार्य है। कृपया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के सहयोग से निर्धारित तिथि तक प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक प्रविष्टि विश्वविद्यालय के वेब प्रकोष्ठ द्वारा आपके महाविद्यालय हेतु निर्धारित लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय वेब साइट www.bubhopal.nic.in पर परीक्षा आयोजन तिथि को ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। प्रायोगिक परीक्षांक पर्ण/प्रतिपर्ण (foil/counter foil) केवल निर्धारित प्रपत्र पर आंतरिक परीक्षांक एवं बाह्य परीक्षक के नाम, मोबाइल क्रमांक पते एवं हस्ताक्षरों के साथ प्रस्तुत किये जावें इनके अभाव में अंक रवीकार्य नहीं होंगे।

- (1) स्नातक स्तर पर संचालित एक संकाय के समान विषय एवं समान पाठ्यक्रम के विभिन्न श्रेणी जैसे नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी की प्रायोगिक परीक्षाएँ एक साथ सम्पन्न की जावी है, किन्तु प्रत्येक समूह की अधिकतम छात्र संख्या 120(एक सौ बीस) से अधिक नहीं होनी चाहिये।।
- (2) प्रायोगिक परीक्षा उपरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की छात्र प्रति बाह्य परीक्षक के मानदेय देयक/देयकों के साथ भुगतान हेतु आवश्यक रूप से सलंगक प्रस्तुत करना होगा (ज्ञातव्य है कि गोपनीय शाखा में प्राप्त होने वाले अधिकांश देयक इस पुष्टि के बिना प्रस्तुत किये जाते हैं कि संबंधित परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है)।
- (3) प्रत्येक विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं के नियमित/ए.टी.के.टी./पूर्व/स्वाध्यायी के प्राप्तांक विश्वविद्यालय के गोपनीय शाखा की ओर प्रेषित किये जावें।
- (4) प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाने के उपरात निर्धारित प्रपत्र के नियत स्थान पर बाह्य परीक्षक का नाम एवं मोबाइल क्रमांक की जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावे जिससे आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक पुष्टि की जा सके।
- (5) समस्त महाविद्यालयों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है, कि वे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथियों में ही प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न करवाकर अंक निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित लिंक पर अपलोड करें तथा अकों की कागज प्रति (**Hard Copy**) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।
- (6) ऑफ-लाईन माध्यम से परीक्षा में समिलित छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक, सत्र आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना/प्रोजेक्ट एवं मौखिकी अकों की कागज प्रति (**Hard Copy**) भी गोपनीय शाखा में जमा करावें।


- (7) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही परीक्षा करायें, तथा प्रायोगिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (**Hard Copy**) विश्वविद्यालय के गोपनीय कक्ष में जमा करते समय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये बाह्य परीक्षक की सूची भी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (8) विश्वविद्यालय द्वारा, नियुक्त बाह्य परीक्षक को प्रायोगिक परीक्षा उपरांत नियुक्ति पत्र की छाया प्रति एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित देयक के साथ प्रस्तुत किया जाने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत ही भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावेगी । बिना नियुक्ति पत्र देयक स्वीकार्य नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 575/09 सी.सी./अड्डीस, भोपाल दिनांक 27.08.09 के तारतम्य विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2734-35/अकादमी/पाठ्यक्रम/अ-1/09 दिनांक 7.10.09 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/पत्रों का पालन सुनिश्चित किया जावे, जिसके अनुसार यदि विद्यार्थी किसी सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य में व्यूनतम उत्तीर्णकं प्राप्त कर लेता है तो उसे अगली परीक्षा में उस प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य देने से छूट प्रदान की जाएगी । इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक/सीसीई/परियोजना कार्य के अंक अगली परीक्षा में पूर्वांक के रूप में प्रविष्ट किये जावेंगे ।

महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्तरीय अंक - आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना एवं मौखिकी के अंक भी अनुक्रमांक सहित विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपलोड किये जावें । उक्त समस्त अंकों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर प्रविष्ट (**upload**) किये जाने के साथ-साथ समस्त प्रविष्ट किये गये पर्ण/प्रतिपर्ण की कागज प्रति (**Hard copy**) में विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर (तीन प्रतियों में) पावती प्राप्त की जाना अनिवार्य है ।

महाविद्यालयस्तरीय परीक्षाओं (प्रायोगिक, सत्र आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा) आदि में अनुपस्थित छात्रों की सूची की कागज प्रति (**hard copy**) आवश्यक रूप से दिनांक 05.12.2017 तक गोपनीय शाखा में जमा कर पावती प्राप्त की जावे, जिसके पश्चात् अंक स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिसका पूर्ण दायित्व महाविद्यालय का होगा ।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 791 /गोपनीय/बविवि/महा.स्त.अंक/2017

भोपाल, दिनांक: 06.11.-2017

प्रतिलिपि :-

1. रांबंधित कार्य सहायक, गोपनीय शाखा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/अकादमी), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
3. कुलपतिजी के निज सचिव, के माध्यम से कुलपतिजी के सूचनार्थ ।
4. कुलसचिवजी के रायिव, के माध्यम से कुलसचिव के सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, वेब प्रकोष्ठ, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर इस जिर्देश के साथ कि वे कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेब पर अपलोड करने के साथ साथ महाविद्यालयों की ई-मेल आई.डी.पर फारवर्ड करें । निर्धारित अंतिम तिथि तक महाविद्यालयों द्वारा ऑन लाईन अपलोड सी.सी.ई./प्रोजेक्ट अंक/मौखिक परीक्षा अंकों की कागज प्रति (**Hard copy**) आवश्यक रूप से गोपनीय शाखा को उपलब्ध करावें ।
6. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. बस्ती प्रति ।


उप-कुलसचिव (गोपनीय),
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल